भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-951
उत्तर देने की तारीख-02/12/2024

एनईपी, 2020 के लिए विद्यालयों का उन्नयन

†951. श्री गौरव गोगोई:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 में रेखांकित नए पाठ्यक्रम और शिक्षणशास्त्र के कार्यान्वयन हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;
(ख) सरकार द्वारा विशेषकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में योग्य शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;
(ग) एनईपी, 2020 की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विद्यालयों की अवसंरचना के उन्नयन हेतु आबंटित की गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा असम में वर्ष 2020 से अब तक व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): सरकार द्वारा एनईपी 2020 में उल्लिखित नए पाठ्यक्रम और शिक्षणशास्त्र के कार्यान्वयन के लिए कई पहलें की गई हैं। 21वीं सदी की मांगों के लिए सेवा-पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी) के मानदंड और मानक, शिक्षकों को व्यापक रूप से तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम दिनांक 26 अक्टूबर 2021 को अधिसूचित किया गया है।

शिक्षकों के पेशेवर विकास को समर्थन देने के लिए शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनपीएसटी) और राष्ट्रीय मार्गदर्शन मिशन (एनएमएम) विकसित किए गए हैं। एनपीएसटी विभिन्न कैरियर चरणों में प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक योग्यताओं की रूपरेखा तैयार

करता है। एनएमएम शिक्षकों को पेशेवर और व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए सलाहकारों का एक मजबूत नेटवर्क बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए एनपीएसटी और एनएमएम दोनों ब्रेल और ऑडियो जैसे प्रारूपों में सुलभ हैं।

समग्र शिक्षा के तहत शुरू किए गए एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा (स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल) के माध्यम से सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण को बढ़ाया गया है। निष्ठा शिक्षकों, स्कूल प्रमुखों, एससीईआरटी और डीआईईटी संकाय और बीआरसी और सीआरसी स्तरों पर संसाधन व्यक्तियों के लिए क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि शिक्षकों को अपने छात्रों में योग्यता आधारित उच्च क्रम सोच कौशल विकसित करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जा सके।

पीएम-ईविद्या नामक एक व्यापक पहल के तहत प्रौद्योगिकी आधारित शैक्षिक मंच दीक्षा (https://diksha.gov.in) उपलब्ध कराया गया है। दीक्षा शिक्षण, सीखने के साथ-साथ शिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षकों की क्षमता निर्माण के लिए उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों/ई-सामग्री के राष्ट्रीय भंडार के रूप में कार्य करता है।

इसके अतिरिक्त, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, डीआईईटी, बीआरसी और सीआरसी सहायक सामग्री के विकास, क्षमता निर्माण, साइट दौरे और गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण के माध्यम से स्कूलों और शिक्षकों को अकादमिक मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करते हैं।

(ख): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए देश के अधिकांश स्कूल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों सहित भर्ती, सेवा शर्तें और उनकी तर्कसंगत तैनाती संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के दायरे में आती है। इसके अलावा, भर्ती एक सतत प्रक्रिया है और सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, छात्रों की बढ़ती संख्या के परिणामस्वरूप शिक्षकों की बढ़ती आवश्यकता जैसे कई कारकों के कारण रिक्तियां उत्पन्न होती हैं।

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग समय-समय पर समीक्षा बैठकों और परामर्शों के माध्यम से राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से स्वायत्त शिक्षक भर्ती बोर्डों के माध्यम से इन रिक्तियों को भरने और उनकी तर्कसंगत तैनाती के लिए अनुरोध करता है। केंद्र सरकार समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर संशोधित नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए उचित छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) बनाए रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(ग): स्कूलों के बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए, केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के तहत, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 4,78,614 स्कूलों के लिए वित्त वर्ष 2020-21 से अब तक 18,72,405.49 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है।

पीएमश्री की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कुल 12,084 स्कूलों और केविसं के केंद्रीय विद्यालयों और नविस को वित्त वर्ष 2023-24 से अब तक 6,82,629.65 लाख रुपये की वित्तीय मंजूरी के साथ वास्तविक उन्नयन के लिए मंजूरी दी गई है।

(घ): सरकार ने असम राज्य सहित देश भर में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें स्कूलों में कौशल शिक्षा के लिए बुनियादी सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, छात्रों को करियर मार्गदर्शन और परामर्श के लिए सहायता प्रदान करना; पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों का विकास और पीएसएस सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन (पीएसएससीआईवीई), भोपाल के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना; इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, उद्योग भागीदारी के माध्यम से छात्रों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने के लिए सहायता; 10 बैग लेस डेज का कार्यान्वयन; कक्षा 9 और 10 के लिए मानकीकृत योग्यता परीक्षा (तमन्ना) तैयार करना आदि शामिल हैं।

असम राज्य द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर 2024 तक, वित्त वर्ष 2019-20 से 1505 स्कूलों को कौशल स्कूलों के रूप में अनुमोदित किया गया है; वित्त वर्ष 2021-22 से हब और स्पोक के तहत 63 स्कूल कार्यात्मक हैं; वित्त वर्ष 2020-21 से कक्षा VI से VIII तक 4219 स्कूलों में कौशल प्रदर्शन दिया गया है; और वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान विभिन्न एनएसक्यूएफ संरेखित कौशल पाठ्यक्रमों में कुल 1,87,959 छात्रों को नामांकित किया गया है।

*****